



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 भाद्र 1935 (श0)
(सं0 पटना 693) पटना, बुधवार, 4 सितम्बर 2013

पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचनाएं

20 अगस्त 2013

बिहार वन सेवा नियमावली 2013

सं0 बि०व०से० स्था०-66/05- 3000/प०व०—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या—C/F-1012/55-1635-R दिनांक 30वीं अप्रील, 1955 द्वारा प्रकाशित एवं समय-समय पर यथा संशोधित नियमावली को अवक्रमित करते हुये, बिहार के राज्यपाल, बिहार वन सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

भाग-1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ— (1) यह नियमावली बिहार वन सेवा नियमावली 2013 कहलायेगी।
(2) यह नियमावली पूरे बिहार राज्य में लागू होगी।
(3) यह नियमावली बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. परिभाषाएँ— इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय अथवा संदर्भ के प्रतिकूल न हो—
 - (i) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;
 - (ii) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
 - (iii) 'प्रधान मुख्य वन संरक्षक' से अभिप्रेत है, पर्यावरण एवं वन विभाग में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थापित एवं बल के प्रमुख के रूप में कार्यरत पदाधिकारी;
 - (iv) 'मुख्य वन संरक्षक' से अभिप्रेत है, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, तथा मुख्य वन संरक्षक के समकक्ष अन्य पदाधिकारी;
 - (v) 'सेवा का सदस्य' से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रावधानों के अधीन सेवा में नियुक्त कोई व्यक्ति;
 - (vi) 'सेवा' से अभिप्रेत है बिहार वन सेवा;
 - (vii) 'विभाग' से अभिप्रेत है पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार;
 - (viii) 'अनुसूचित जन जाति' से अभिप्रेत है भारतीय संविधान (अनुसूचित जन जातियाँ आदेश-1950) के भाग-II में उल्लिखित जन जातियाँ;

- (ix) 'अनुसूचित जाति' से अभिप्रेत है भारतीय संविधान (अनुसूचित जातियाँ आदेश- 1950) के भाग-II में उल्लिखित जातियाँ;
- (x) 'पिछड़ी जातियों' से अभिप्रेत है बिहार सरकार के द्वारा समय-समय पर पिछड़ी जातियों के रूप में अधिसूचित जातियाँ;
- (xi) 'अत्यंत पिछड़ी जातियों' से अभिप्रेत है बिहार सरकार के द्वारा समय-समय पर अत्यंत पिछड़ी जातियों के रूप में अधिसूचित जातियाँ;
- (xii) 'पिछड़े वर्ग की महिलाओं' से अभिप्रेत है अनुसूचित जन जातियों अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों एवं अत्यंत पिछड़ी जातियों की महिलाएं ।
3. (1) **नियुक्ति**—बिहार वन सेवा के मूल कोटि के पदों पर नियुक्ति निम्नवत की जायेगी :-
- (क) इस नियमावली के भाग- II में प्रक्रिया के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा;
- (ख) वन क्षेत्र पदाधिकारी, जो वन क्षेत्र पदाधिकारी के रूप में अपनी अपेक्षित सेवा अवधि पूरा कर चुके हो तथा इस नियमावली के भाग- III के अनुसार सेवा के योग्य पाये गये हो, की प्रोन्नति द्वारा;
- (2) सेवा में पदों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत पद प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति से तथा पचास प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे ।
4. बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम- 1991 एवं उसके अधीन बनाई गयी नियमावली के प्रावधान तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित रोस्टर सेवा में नियुक्ति करने तथा प्रोन्नति देने में लागू होंगे ।

भाग-II

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति ।

(खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से)

5. राज्य सरकार सामान्यतया प्रत्येक वर्ष पहली अप्रैल को नियम- 3 (2) के अनुसार रिक्तियों की गणना करेगी । रोस्टर क्लियरेंस के उपरान्त, तदनुसार राज्य सरकार, आयोग को 30 अप्रैल तक रिक्तियों की अधियाचना भेजेगी । अधियाचना की प्राप्ति पर, आयोग प्रत्येक वर्ष, उस रीति से, जिसे वह उचित समझे, प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर सेवा में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या की घोषणा करेगा तथा नियम 6 के अधीन पात्र उम्मीदवारों से आवेदन मांगेगा । प्रतियोगिता परीक्षा आयोग द्वारा संचालित की जायेगी ।
6. (क) इस सेवा हेतु प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिये—
- (i) किसी उम्मीदवार को परीक्षा-वर्ष के 1 ली अगस्त को 21 वर्ष से कम एवं 30 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये । अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों एवं अत्यन्त पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को, सरकारी नीति के अनुसार, उम्र सीमा में सुसंगत समय की शिथिलता दी जायेगी । वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी के रूप में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के लिए संवर्ग नियमावली में यथा विहित प्रशिक्षित उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र सीमा में 5 वर्षों की शिथिलता दी जाएगी ।
- (ii) उम्मीदवार को अच्छे स्वास्थ्य एवं सुगठित शरीर का होना चाहिये । उसे बिहार वन सेवा के एक सदस्य के रूप में दक्षतापूर्वक कर्तव्यपालन करने में बाधा डालने वाली शारीरिक विकलांगता से मुक्त होना चाहिये ।
- (iii) उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या समकक्ष से कम से कम एक विषय यथा— वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी एवं प्राणी विज्ञान के साथ स्नातक की डिग्री धारक या कृषि में स्नातक या अभियांत्रिकी में स्नातक डिग्री धारक होना चाहिए ।
- (ख) ऐसे सरकारी सेवक जो इस पद के लिए योग्य हो, वे अपना आवेदन बिहार सरकारी सेवक (पदों के लिए आवेदन) नियमावली, 1951 के तहत विहित प्राधिकृत पदाधिकारी के माध्यम से देंगे ।
7. आवेदन पत्र के साथ कोई भी उम्मीदवार निम्नलिखित अवश्य समर्पित करेगा—
- (i) नियम 6 के अधीन यथा विहित शैक्षणिक अर्हता का प्रमाण पत्र;
- (ii) अंतिम महाविद्यालय/संस्था, जिसमें उसने (पुरुष/स्त्री) अध्ययन किया हो, द्वारा निर्गत चरित्र एवं आचरण का प्रमाण पत्र;
- (iii) उम्र का प्रमाण जो सामान्यतया मैट्रिकुलेशन अथवा इसके समकक्ष प्रमाण पत्र की सच्ची प्रतिलिपि होगी ।
8. इस भाग के नियम 6 एवं 7 में यथा विहित किसी अपेक्षा के होते हुये भी, आयोग किसी उम्मीदवार से उसकी उम्मीदवारी एवं/अथवा उपयुक्तता के लिए जिसे आवश्यक समझा जाए, अन्य कोई अतिरिक्त प्रमाण पत्र किसी बिन्दु पर भेजने की अपेक्षा कर सकेगा ।
9. इस नियमावली के अनुसूची 'क' में विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम, जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित किया जा सकेगा, के अनुसार लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी ।
10. लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा । साक्षात्कार के लिये बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, आयोग द्वारा यथा विनिश्चित रिक्तियों के संख्या के

- निश्चित अनुपात में होगी। लिखित परीक्षा हेतु न्यूनतम अर्हतांक विभिन्न आरक्षण कोटिवार वही होगा जो सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा।
11. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और/या मुख्य वन संरक्षक या इससे उच्च पंक्ति का भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी, आयोग द्वारा साक्षात्कार हेतु गठित बोर्ड के सदस्य होंगे।
 12. मौखिक जांच परीक्षा में प्राप्त अंक को लिखित परीक्षा के प्राप्तांक में जोड़ा जायेगा तथा दोनों के योग के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।
 13. साक्षात्कार के लिये चुने गये उम्मीदवारों को आयोग द्वारा आयोजित शारीरिक जांच से गुजरना होगा जिसके उपरान्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, बिहार द्वारा गठित चिकित्सा पथद (मेडिकल बोर्ड) द्वारा चिकित्सकीय जांच से गुजरना होगा। वैसा उम्मीदवार का चयन, जो शारीरिक जांच में असफल रहता है और/या इस नियमावली से संलग्न परिशिष्ट 'ग' में अपनी उपयुक्तता का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असफल रहता है, नहीं किया जायेगा।
 14. शारीरिक योग्यता के निम्नलिखित न्यूनतम मानदंड विहित किये जाते हैं -

अनु० जाति/अनु० जन जाति के उम्मीदवार		अन्य
उंचाई (पुरुष)	152.5 से०मी०	163 से० मी०
उंचाई (महिला)	145 से०मी०	150 से० मी०
सीना (बिना फुलाए) पुरुष	79 से०मी० (05 से०मी०) फुलाना	
शारीरिक जांच		
पुरुष	4 घंटे में 25 कि०मी० पैदल चलना।	
महिला	4 घंटे में 14 कि०मी० पैदल चलना।	

15. आयोग द्वारा मेधा के आधार पर इस प्रकार व्यवस्थित ऐसे उम्मीदवारों की सूची, जिन्होंने शारीरिक एवं चिकित्सकीय जांच में अर्हित हो चुके हो, इस सेवा में नियुक्ति हेतु अनुशंसित की जायेगी। आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों का पैनल एक वर्ष के लिये वैध होगा।
16. नियम 15 के अधीन आयोग द्वारा अनुशंसा मात्र के कारण किसी उम्मीदवार को सेवा में नियुक्ति होने का कोई अधिकार प्रोद्भूत नहीं होगा, जबतक कि राज्य सरकार का, ऐसी जांचोपरांत, जैसी आवश्यक समझें, सामाधान न हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति हेतु सभी प्रकार से उपयुक्त है।
17. अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार से राज्य सरकार के साथ विहित प्रपत्र में बॉन्ड/एग्रीमेंट निष्पादित की जायेगी तथा तदुपरांत उनकी नियुक्ति सहायक वन संरक्षक के रूप में 2 वर्ष के लिये परिवीक्षा पर की जायेगी तथा उनसे राज्य सरकार द्वारा यथावधारित मान्यता प्राप्त संस्थानों में दो वर्ष के व्यवसायिक प्रशिक्षण में जाने की अपेक्षा की जायेगी। परिवीक्षा पर नियुक्त सहायक वन संरक्षकों के नाम को संबंधित संस्थानों में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ भेज दिया जायेगा:-
 - (क) परिवीक्षा पर नियुक्त प्रत्येक सहायक वन संरक्षक के उम्र का साक्ष्य प्रमाण पत्र;
 - (ख) परिवीक्षा पर नियुक्त प्रत्येक सहायक वन संरक्षक का नियम 6 क (iii) में यथा विहित शैक्षणिक अर्हता का मूल प्रमाण पत्र;
 - (ग) नियम 13 के अधीन प्रपत्र 'ग' में निर्गत शारीरिक उपयुक्तता का प्रमाण पत्र;
18. नियम 17 के अधीन परिवीक्षा पर उस प्रकार नियुक्त व्यक्ति यदि उसके अधीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने में असफल रहता है तो उस व्यक्ति की परिवीक्षा-अवधि अधिकतम एक साल के लिये बढ़ाई जा सकती है एवं फिर भी यदि वह उक्त बढ़ाई गई अवधि में प्रशिक्षण को पूरा करने में असफल रहता है तो उसकी सेवा सम्पुष्ट नहीं की जायेगी तथा उसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
19. नियम 17 के अधीन यथा विहित दो वर्षों की अवधि के भीतर अथवा विस्तारित अवधि के भीतर सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण होने पर उसके अधीन सहायक वन संरक्षक के पद पर उस प्रकार नियुक्त व्यक्ति की सेवा सम्पुष्ट की जायेगी, यदि और केवल यदि-
 - (क) उसे राज्य सरकार द्वारा यथा विहित विभागीय परीक्षा में सफल घोषित किया गया हो, एवं
 - (ख) प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा से राज्य सरकार को सामाधान हो गया हो कि वह सम्पुष्ट होने योग्य है परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति यथाखंड (क) के अधीन सफल घोषित नहीं किया गया हो या खण्ड (ख) के अधीन राज्य सरकार को सामाधान हो गया हो तो उसकी सेवा सम्पुष्ट नहीं की जायेगी एवं उसे सेवोन्मुक्त कर दिया जायेगा।
20. नियम 17 के अधीन उस प्रकार नियुक्त व्यक्ति, परिवीक्षा की अवधि दौरान, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथा पुनरीक्षित सहायक वन संरक्षक के पद पर यथा अनुमान्य वेतन एवं भत्ते का हकदार होगा एवं नियम 18 के अधीन उसकी सेवा सम्पुष्ट होने पर परिवीक्षा पर उसकी प्रथम नियुक्ति की तिथि सेवा में मूल

नियुक्ति की तिथि मानी जायेगी और वह उक्त तिथि से सेवा के अधीन सभी फायदे के लिए स्वयं हकदार होगा।

भाग – III

प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति

21. (1) नियम 3 (ख) के अधीन सेवा के मूल कोटि के पद पर वन क्षेत्र पदाधिकारियों की प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति पर, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा उनकी मेधा-सह-वरीयता के अनुसार विचार किया जायेगा। प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए रिक्तियों की गणना नियम 3 (2) के अनुसार, प्रत्येक वर्ष 1लीं अप्रिल को की जायेगी।
(2) आयोग, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा अग्रेसित दस्तावेजों की समीक्षा कर, मेधा-सह-वरीयता एवं कार्य अभिलेखों, कार्य अनुपालन एवं वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के आधार पर, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु उपयुक्त वन क्षेत्र पदाधिकारियों की सूची तैयार करेगा।
22. आयोग सेवा में प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु पदाधिकारियों की उपयुक्तता के सम्बंध में अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को भेजेगा।
23. सेवा के मूल कोटि के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्त होने वाले वन क्षेत्र पदाधिकारियों का अंतिम चयन राज्य सरकार द्वारा नियम 22 के अधीन आयोग की अनुशंसाओं पर विचार करने के बाद किया जायेगा।
24. इस भाग के अधीन प्रोन्नति द्वारा नियुक्त ऐसे पदाधिकारियों को, राज्य सरकार द्वारा यथावधारित मान्यता प्राप्त संस्थानों में, छह सप्ताह के व्यवसायिक प्रशिक्षण लेना होगा।

भाग – IV

वरीयता

25. (1) एक साथ सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त एवं नियम 18 के अधीन सम्पुष्ट सेवा के सदस्यों की दशा में उनकी आपसी वरीयता उस मेधा क्रम के आधार पर, जिस क्रम में उनके नाम बिहार लोक सेवा आयोग की अंतिम परीक्षा में यथा नियम- 15 के अधीन सफल उम्मीदवारों की सूची में रखा गया हो अवधारित की जायेगी।
(2) प्रोन्नति के द्वारा एक साथ सेवा में मूल रूप से नियुक्त वन क्षेत्र पदाधिकारियों की आपसी वरीयता, वन क्षेत्र पदाधिकारी के रूप में धारित उनकी आपसी वरीयता के अनुसार होगी।
(3) उस दशा में जहाँ सेवा में नियुक्ति, एक ही वर्ष की रिक्तियों के विरुद्ध दोनों सीधी भर्ती द्वारा एवं वन क्षेत्र पदाधिकारियों की प्रोन्नति द्वारा हुई हो, वहाँ प्रोन्नत सदस्य सीधी भर्ती किये गये सदस्य से वरीय होंगे।

भाग-V

वेतन

26. बिहार वन सेवा के सदस्यों के विभिन्न पदनाम एवं पदसोपान निम्नरूपेण होंगे :-

क्र०	पदनाम
1	सहायक वन संरक्षक
2	उप वन संरक्षक
3	वरीय उप वन संरक्षक
4	वन संरक्षक

विभिन्न पदों की संख्या तथा उनका वेतनमान, राज्य सरकार द्वारा समय-समय नियत किया जायेगा। उप वन संरक्षक, वरीय उप वन संरक्षक एवं वन संरक्षक के पद क्रमशः सहायक वन संरक्षक, उप वन संरक्षक एवं वरीय उप वन संरक्षक के प्रोन्नति के पद होंगे।

27. सेवा के सदस्य उप वन संरक्षक एवं पदसोपान के अनुरूप अन्य उच्चतर पदों पर पदों की रिक्ति जिस पर प्रोन्नति दी जानी हो, की उपलब्धता के अनुसार नियम 26 के अधीन प्रोन्नति के पात्र होंगे। उप वन संरक्षक, वरीय उप वन संरक्षक एवं वन संरक्षक के पदों पर प्रोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि क्रमशः 9 वर्ष, 14 वर्ष एवं 19 वर्ष के साथ-साथ जिस पद से प्रोन्नति दी जानी हो उस पर न्यूनतम दो वर्षों की सेवा होगी।
28. इस सेवा का संवर्ग बल तथा संरचना राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधित की जा सकेगी।
29. (1) सेवा के वरीयतम वेतनमान में प्रोन्नति की स्वीकृति के लिये बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा चयन किया जायेगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य होंगे। समिति विचारण क्षेत्र में आनेवाले पदाधिकारियों के सेवा अभिलेख एवं उपयुक्तता को मेधा-सह-वरीयता के सिद्धांत के आधार पर विचार करेगी एवं अपनी अनुशंसा, प्रोन्नति अधिसूचित करने हेतु, विभाग को भेजेगी।

- (2) सेवा में अन्य वेतनमानों पर प्रोन्नति देने हेतु विभाग द्वारा यथा अधिसूचित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा चयन किया जायेगा।
30. राज्य सरकार, इस नियमावली के अधीन विभिन्न प्रावधानों को लागू करने हेतु दिशा-निर्देश, समय-समय पर, जारी कर सकेगी।
31. सेवा के सदस्यों से संबंधित सभी अन्य सेवा के मामले, जो इस नियमावली से आच्छादित न हो, बिहार सेवा संहिता द्वारा शासित होंगे।
32. **अनुशासन, नियंत्रण एवं अपील**— बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005, समय-समय पर यथासंशोधित, के प्रावधान अनुशासन, नियंत्रण एवं अपील के मामले में, बिहार वन सेवा के सदस्यों पर लागू होंगे।
33. **निरसन एवं व्यावृत्ति**—(1) इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या—C/F-1012/55-1635R दिनांक 30 अप्रैल 1955 द्वारा प्रकाशित बिहार वन सेवा नियमावली, 1953 एवं समय-समय पर यथासंशोधित, निरसित हो जायेगी।
- (2) इस निरसन के होते हुये भी निरसित नियमावली द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य अथवा की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई मानी जायेगी मानों यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन वह कार्य किया गया अथवा वह कार्रवाई की गई थी।
- (3) इस निरसन की किसी बात से इस निरसित नियमावली के अधीन उद्भूत कोई अधिकार अथवा उपगत कोई दायित्व या बाध्यता प्रभावित नहीं होगी अथवा प्रभावित हुई नहीं समझी जायेगी।

**बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीपक कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।**

अनुसूची-क

बिहार वन सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठयक्रम।
परीक्षा के लिये निम्नलिखित विषय होंगे। भाषा को छोड़कर सभी विषयों के उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में दिये जा सकते हैं। प्रत्येक विषय के अंक उसके सामने दर्शाये गये हैं।

क.	विषय	अंक
	अनिवार्य	
1.	सामान्य ज्ञान (सामयिक घटनाओं की जानकारी सहित)	100
2.	(i) हिन्दी (माध्यमिक स्तर) (ii) अंग्रेजी (माध्यमिक स्तर) (प्रत्येक के लिए 50 अंक एवं प्रत्येक के लिए अर्हतांक, 20। इसके अंक लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तिक में नहीं जोड़े जायेंगे।)	100
3.	वानिकी एवं पर्यावरण (इंटर स्तर)	50

ख. ऐच्छिक (दो पत्र) निम्नलिखित से किन्हीं दो विषयों का चयन किया जा सकेगा। ऐच्छिक विषयों की सूची (निम्नलिखित प्रावधानों के अध्याधीन)

1. पशु पालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान
2. कृषि
3. कृषि अभियांत्रिकी
4. वनस्पति शास्त्र
5. जन्तु शास्त्र
6. गणित
7. रसायन विज्ञान
8. भौतिकी
9. भू गर्भ शास्त्र
10. यांत्रिकी अभियंत्रण
11. सिविल अभियंत्रण
12. रसायनिक अभियंत्रण
13. सांख्यिकी
14. वानिकी

इन विषयों के मानक स्नातक डिग्री स्तर के होंगे—
प्रत्येक 150 अंक

परन्तु उम्मीदवार को निम्नलिखित संयोजन को लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी :-

- (क) कृषि एवं कृषि अभियंत्रण।
- (ख) कृषि एवं वानिकी।
- (ग) कृषि एवं पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान।
- (घ) रसायन शास्त्र एवं रासायनिक अभियंत्रण।
- (च) गणित एवं सांख्यिकी।
- (छ) अभियंत्रण के विषयों में से एक से अधिक नहीं।

ग. साक्षात्कार — 50

प्रपत्र क (नियम 17) एकरारनामा

इस विलेख के द्वारा सबों को यह ज्ञात हो कि हमलोग के (प्रधान बाध्यकारी) के एवं के (प्रतिभूतियों) संयुक्त एवं व्यक्तिगत रूप से बिहार के महामहिम राज्यपाल से रूपये उक्त राज्यपाल को, उनके पदोत्तरवर्ती अथवा समनुदेशिनी अथवा उन लोगों के एटोर्नियों अथवा कोई एटोनी को अदा करने हेतु आबद्ध हैं तथा उक्त भुगतान भली-भाँति एवं वास्तविक रूप से की जानी है। हमलोग अपने को अपने उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों एवं प्रतिनिधियों को आबद्ध करते हैं तथा हमलोगों में से प्रत्येक व्यक्ति अपने को अपने उत्तराधिकारियों निष्पादकों प्रशासकों एवं प्रतिनिधियों को दृढ़ता से इन विलेखों, मुहरों के साथ अपने मुहरों से आज दिनांक दिन दो हजार को आबद्ध होते हैं।

जब कि बिहार के महामहिम राज्यपाल ने अपने एवं अपने पदोत्तरवर्ती एवं समनुदेशिनी को (करार में तय की गई शर्तों के अधीन जो इसके साथ एक तिथि में है तथा जिसके प्रथम भाग का करार के बीच तथा दूसरे भाग के उक्त एवं बिहार के महामहिम राज्यपाल के बीच) उक्त को वन विज्ञान, वन कार्य एवं वन प्रशासन से संबंधित सभी विषयों को राज्य वन सेवा महाविद्यालय में पढ़ाने का वचन लिया है तो उक्त महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा उक्त को पढ़ाया जाना आवश्यक समझा जाना चाहिये तथा वे इस बात पर भी सहमत हुये हैं कि उक्त महाविद्यालय में उनके ठहरने के दौरान उन्हें रूपये की दर से भुगतान किया जाय एवं जब कि बिना किसी ऐसे भत्ते को जोड़े हुये इस शिक्षा पर वार्षिक खर्च का आकलन रूपये प्रति महिना है जिसे लिया जायेगा तथा इन विलेखों के प्रयोजन से उक्त खर्च को वास्तविक मानने पर एतत् द्वारा सहमति हुई है तथा जब कि उक्त को उक्त राज्यपाल एवं उनके पदोत्तरवर्ती अथवा समनुदेशिनी द्वारा ऐसी शिक्षा एवं वेतन देने पर विचार करने के समय उक्त ने उक्त राज्यपाल एवं उनके समनुदेशिनी के साथ करार किया है कि उक्त महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के बाद आवश्यकतानुसार, बिहार सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग में कम से कम 5 वर्ष तक सेवा करेगा तथा इस सम्पूर्ण अवधि में वह तत्परतापूर्वक एवं दक्षतापूर्वक सभी कार्य सम्पन्न करेगा तथा उक्त विभाग के अधिकारी के रूप में उससे अपेक्षित सभी कार्य सम्पन्न करेगा, एवं जबकि उक्त राज्यपाल की सहमत हुये हैं कि उक्त को इस सेवा के लिये कम से कम प्रति महिने की दर से भुगतान किया जायेगा बशर्ते कि उक्त ने उक्त संस्थान के अध्यक्ष के संतोषप्रद रूप में पाठ्यक्रम पूरा किया हो तथा वह अपने वेतन श्रेणी के अनुसार विभाग के नियमों एवं विनियमों के अधीन उस समय में अधिकारियों को विभाग द्वारा दी जाने वाले वेतन, पेंशन एवं प्रोन्नति का हकदार होगा एवं जब कि उक्त राज्यपाल, उनके पदोत्तरवर्ती एवं समनुदेशिनी को हुये हानि एवं क्षति जो उक्त के अपने अध्ययन को अथवा राज्यपाल उनके पदोत्तरवर्ती एवं समनुदेशिनी की सेवा को पूरा करने से पूर्व ही बर्खास्त कर दिये जाने अथवा ऐसे अध्ययन को पूरा करने की तिथि से 5 वर्ष बीतने से पूर्व ही बिना अनुमति के महाविद्यालय छोड़कर जाने से उन्हें उक्त हानि एवं क्षति भुगताना पड़ सकता है, तत्संबंधित सुरक्षा एवं क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु तथा उक्त राज्यपाल उनके पदोत्तरवर्ती एवं समनुदेशिनी को सम्पूर्ण व्यय (जिसमें उक्त को उपरोक्त महाविद्यालय में किया जाने वाला भुगतान भी सम्मिलित है) जो कि उपरोक्त राज्यपाल उनके पदोत्तरवर्ती एवं समनुदेशिनी द्वारा उक्त को उक्त महाविद्यालय में शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु वहन किया गया है, के प्रतिदाय को प्राप्त करने के लिये तथा उपरोक्त भुगतान एवं शिक्षा पर जो उक्त को एवं महाविद्यालय को उक्त के उक्त महाविद्यालय में नामांकन हेतु एक शर्त के रूप में दिया गया। यह भी करार किया गया है कि उक्त एवं उक्त एवं उपरोक्त लिखित एकरारनामा विहित शर्तों के अधीन निष्पादित करें। अब उपरोक्त लिखित एकरारनामा अथवा बाध्यता का शर्त यह है कि यदि उक्त उस महाविद्यालय में भली-भाँति निष्ठापूर्वक एवं तत्परतापूर्वक अध्ययन करने उसे पूरा करता है तथा उक्त वन सेवा के लिये अर्हता प्राप्त करता है तथा उस महाविद्यालय में अध्ययन कार्य पूरा करने के उपरान्त आवश्यकता पड़ने पर उक्त राज्यपाल, उनके पदोत्तरवर्ती एवं समनुदेशिनी के बिहार सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग में कम से कम 5 वर्ष तक सेवा देगा तथा इस सम्पूर्ण अवधि के दौरान सभी कार्य तत्परतापूर्वक एवं दक्षतापूर्वक करेगा तथा उस विभाग के अधिकारी के रूप में उससे अपेक्षित सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तथा अपने एकरारनामा एवं एतद् द्वारा

तिथि के करार से संतुष्ट करेगा और यदि उक्त और उनमें से कोई एक, उनके अथवा उनके उत्तराधिकारियों में से कोई निष्पादक प्रशासक एवं प्रतिनिधि भली-भाँति एवं सत्यनिष्ठा से उक्त राज्यपाल, उनके पदोत्तरवर्ती एवं समनुदेशिती को उस हानि एवं क्षति की पूर्ति करेगा जो उक्त उस महाविद्यालय की अवधि में अथवा सरकारी सेवा में बर्खास्त हो जाने अथवा बिना अनुमति के शिक्षा सम्पूर्ण किये बिना उस महाविद्यालय को छोड़ देने अथवा उक्त राज्यपाल, उनके पदोत्तरवर्ती अथवा समनुदेशिती की सेवा को उनके सम्पूर्ण होने की तिथि से 5 वर्ष पूर्व ही छोड़ देने के कारण हुआ हो तथा उपरोक्त इस प्रकार की किसी भी बर्खास्तगी अथवा बिना अनुमति के छोड़ने पर उपरोक्त राज्यपाल, उनके पदोत्तरवर्ती अथवा समनुदेशिती को उक्त के उस महाविद्यालय में हुए शिक्षण पर खर्चे (जिसमें उपरोक्त किये जाने वाले मासिक खर्चे भी शामिल हैं) का भी भुगतान करेगा और तब उपरोक्त लिखित एकरारनामा शून्य करार दिया जायेगा अन्यथा वह पूरी मान्यता एवं क्षमता से कायम रहेगा। परन्तु यह भी कि यह स्पष्ट रूप से करार पाता है तथा उद्घोषित किया जाता है कि यह विलेख महामहिम राज्यपाल, बिहार के आदेश के अधीन उक्त के लोक कर्तव्य के निर्वहन के लिये तथा एक ऐसे कार्य के रूप में माना एवं समझा जाता है जिसमें लोग भारत के विधान परिषद् के 1872 के अधिनियम IX की धारा 74 के तात्पर्य के अधीन हितबद्ध है।

इस विलेख के पक्षकारों ने गवाह के रूप में यहां पर अपना हस्ताक्षर एवं मुहर आज एवं इस वर्ष दिया।

साक्षीगण	हस्ताक्षर
1.	1.
2.	2.
3.	3.

**प्रपत्र— ख
(नियम 17)
अनुबंध**

अनुबंध के विषय जो कि आज दिन वर्ष दो हजार को प्रथम अंश तथा उक्त द्वितीय अंश के प्रतिपाल्य तथा बिहार महामहिम राज्यपाल के बीच तय पाये गये। जिसके द्वारा प्रत्येक पक्षकार द्वारा जहाँ तक कि एतत् पश्चात दिये गये शर्तों का निम्न रूप से अनुपालन किया जाना है न कि अपने प्रसंविदा का दूसरे के साथ प्रदर्शन—

1. उक्त एतद् द्वारा अपनी इच्छा एवं सहमति से राज्यपाल, उनके पदोत्तरवर्ती एवं समनुदेशिती के बीच हुये इस अनुबंध को निष्पादन करके उसके द्वारा प्रमाणित करना कि उक्त महाविद्यालय के वर्ष के पाठ्यक्रम के सम्पूर्ण विहित अवधि के दौरान तत्परतापूर्वक, निष्ठापूर्वक अपने अध्ययन का अनुसरण करेगा तथा बिहार सरकार की वन सेवा में अर्हता हासिल करने के लिये अपने तरफ से अधिकतम प्रयास करेगा।
2. उक्त उक्त महाविद्यालय में अपना अध्ययन समाप्त करने के पश्चात आवश्यकतानुसार राज्यपाल, उनके पदोत्तरवर्ती, समनुदेशिती की सेवा में बिहार सरकार के पर्यावरण वन विभाग में कम से कम 5 साल तक रहेगा तथा उक्त सम्पूर्ण अवधि में उक्त विभाग के एक अधिकारी के रूप में उससे अपेक्षित सभी कार्यों का निर्वहन तत्परतापूर्वक एवं दक्षतापूर्वक करेगा।
3. राज्यपाल स्वयं, उनके पदोत्तरवर्ती एवं समनुदेशिती उक्त को राज्य वन सेवा महाविद्यालय में वन विज्ञान, वन कार्य एवं वन प्रशासन से संबंधित सभी मामलों में जिसे विज्ञान माना जाता हो तथा उक्त महाविद्यालय के अध्यक्ष द्वारा उक्त के लिये आवश्यक समझा जाय शिक्षा देने का वचन देते हैं।
4. उस महाविद्यालय में अध्ययन के दौरान ठहरने के क्रम में राज्यपाल रूपये प्रति महीने की दर से भुगतान करेंगे जिसे बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि उक्त महाविद्यालय के प्रधानाचार्य उसके कार्य आचरण से संतुष्ट हों तथा तत्पश्चात बशर्ते कि उक्त बिहार में सेवा में सीधी नियुक्ति हेतु लागू वर्तमान नियमों का पालन करता हो तथा तत्पश्चात उक्त पर्यावरण एवं वन विभाग के एक अधिकारी के रूप में निष्ठापूर्वक एवं तत्परतापूर्वक कम से कम रूपये प्रति महीने पर सेवा देगा बशर्ते कि उक्त में उक्त संस्थान के अध्यक्ष के संतोषप्रद रूप में पाठ्यक्रम को पूरा किया हो तथा उक्त अपने वेतन के आधार पर उक्त विभाग के अधिकारी को अनुमान्य वेतन, पेंशन एवं प्रोन्नति से संबंधित सभी अधिकार का उक्त विभाग के नियम एवं विनियमों के अधीन उस समय के लिये हकदार होगा।
5. अंत में, एतद् द्वारा यह अनुबंधित एवं उद्घोषित किया जाता है कि राज्यपाल उनके पदोत्तरवर्ती अथवा उनके समनुदेशिती उक्त को उक्त सेवा के दौरान महाविद्यालय में पाठ्यक्रम को पूरा करने की अवधि के दौरान उसके द्वारा किये गये किसी तरह की लापरवाही, कर्तव्य निर्वहन करने में असफल रहना, बीमारी अथवा अवज्ञाकारिता या दुःव्यवहार जिसके लिये उक्त महाविद्यालय के प्रधानाचार्य अथवा मुख्य वन संरक्षक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही इस अनुबंध को निरस्त करने तथा उसे उस महाविद्यालय से बर्खास्त करने अथवा उक्त विभाग की सेवा से बर्खास्त करने अथवा दोनों के लिये निर्णयात्मक साक्ष्य होगा तथा ऐसे मामले में उक्त एतद् द्वारा स्वीकृत किसी भी सुविधा का हकदार नहीं

होगा तथा उक्त राज्यपाल, उनके पदोत्तरवर्ती अथवा समनुदेशिनी को प्रतिदाय (जिसमें उक्त को किया जाने वाला प्रति महीना भुगतान जो कि उसे उपरोक्त महाविद्यालय में ठहरने के दौरान मिलना था) संबंधी सारे खर्च जो कि राज्यपाल उनके पदोत्तरवर्ती अथवा समनुदेशिनी द्वारा उक्त के शिक्षा के उस महाविद्यालय में ठहरने के दौरान खर्च सहित (उक्त भुगतान सहित) वहन किया गया, दिया जाना (वापस किया जाना) है जो इन विलेखों के प्रयोजन हेतु लिये जाने वाले रूपये हैं।

6. इस अनुबंध को उक्त द्वारा अभिपुष्ट किया जाना है जब वह अपनी वयस्कता प्राप्त कर ले इस विलेख के गवाह के रूप में उक्त पक्षकारों ने अपने-अपने हस्ताक्षर एवं मुहर आज उपरोक्त लिखित वर्ष को किये।

गवाह

हस्ताक्षर

1.

1.

प्रपत्र-ग

चिकित्सा प्रतिवेदन

चिकित्सा परीक्षक के दिशा निर्देशन के लिये निम्नलिखित संकेत दिये जाते हैं:-

ऐसे किसी व्यक्ति को लोक सेवा में प्रवेश हेतु अयोग्य माना जायेगा जो सरकार अथवा नियोक्ता प्राधिकार, जैसा भी मामला हो, के संतोषप्रद रूप में यह स्पष्ट नहीं कर दें कि उन्हें ऐसी कोई बीमारी अथवा शारीरिक गठन से संबंधित अस्वस्थता अथवा शारीरिक अशक्तता हो जिसके कारण वह उस सेवा के अयोग्य हो, अथवा होने वाला हो।

आयोग का यह निवेदन है कि इस तथ्य को समझा जाना चाहिये कि उपयुक्तता के साथ भविष्य एवं वर्तमान दोनों जुड़े हैं तथा चिकित्सकीय जांच का मुख्य उद्देश्य लगातार प्रभावकारी सेवा से है तथा स्थायी नियुक्ति वाले उम्मीदवारों के मामले में उनके अकाल मृत्यु होने की स्थिति में उन्हें जल्द पेंशन अथवा भुगतान दिये जाने को रोकना है। साथ ही साथ इस तथ्य पर भी गौर किया जाना है कि एक उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द करने की सलाह केवल उसके शरीर में किसी लघु दोष की वजह से नहीं दी जानी चाहिये जो कि उसके अनवरत प्रभावकारी सेवा में बाधा डालता हो।

प्रपत्र भरने से पूर्व उम्मीदवार से यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिये कि क्या कि पूर्व में किसी विधिवत गठित भारत सरकार के चिकित्सा प्राधिकार अथवा अन्यत्र सरकारी सेवा के लिये उसे अयोग्य ठहराया गया है।

(क) उम्मीदवार का कथन और उद्घोषणा

चिकित्सकीय जांच से पूर्व उम्मीदवार निम्न अपेक्षित कथन दें एवं उससे संलग्न उद्घोषणा पर अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करें। उसका ध्यान विशेषकर निम्नलिखित चेतावनी पर आकृष्ट किया जाता है:-

1. अपना पूरा नाम (बड़े अक्षरों में) लिखें।
2. अपना उम्र एवं जन्म स्थान लिखें।
3. क्या आप कभी छोटा चेचक, आर्बक अथवा किसी अन्य बुखार, पीव रहित गिल्टी के अपवृद्धि, रक्त वमन, अस्थमा, फेफड़ों के सूजन, हृदय की बीमारी, बेहोशी का दौरा, गठिया, उण्डुक पुच्छ से पीड़ित हुये हैं?

अथवा

(ख) दुर्घटना जनित कोई अन्य जिसमें परिरोध अपेक्षित हो अथवा कोई चिकित्सकीय या शल्य चिकित्सा अपेक्षित हो? शरीर पर कोई स्थायी कुप्रभाव अथवा विकलांगता का उल्लेख करें।

4. आपका अंतिम टीकाकरण कब हुआ था?
5. क्या आप अथवा आपके कोई संबंधी यक्ष्मा, गण्डमाला, गठिया, अस्थमा, मूर्च्छा मिर्गी अथवा पागलपन से ग्रसित हुये हैं?
6. क्या आप अत्यधिक कार्यवश अथवा किसी अन्य कारण वश अधीरता से ग्रसित हुये हैं?
7. क्या आप कभी हेपेटाइटिस या एड्स से ग्रसित हुये हैं?
8. अपने परिवार से संबंधित निम्नलिखित विवरणी को भरें:-

पिता एवं माता की उम्र तथा यदि जीवित हों तो स्वास्थ्य की स्थिति	पिता एवं माता की मृत्यु के समय उनकी उम्र तथा मृत्यु का कारण	जीवित भाई एवं बहन की संख्या एवं उनकी उम्र	मृत भाई एवं बहन की संख्या, उनकी उम्र तथा मृत्यु का कारण।

मैं उद्घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त सारे उत्तर मेरे अधिकतम विश्वास में सत्य एवं सही है तथा मैंने किसी भी ऐसी सूचना को नहीं छिपाया है जिसका प्रभाव मेरे नियुक्ति पर पड़े।

उम्मीदवार का हस्ताक्षर

टिप्पणी— उपरोक्त कथन की यथार्थता के लिये उम्मीदवार उत्तरदायी होगा। जानबूझकर किसी सूचना को दबाने से उसे नियुक्ति खोने के खतरे का सामना करना होगा तथा यदि उसकी नियुक्ति हो जाती है, तो उसे सेवा निवृत्ति से संबंधित सभी दावे, अथवा उपादान से वंचित होना पड़ेगा।
(ख) (उम्मीदवार का नाम) पर चिकित्सा पर्षद का प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर	अभ्युक्ति
<p>1. क्या उद्घोषणा प्रपत्र पर उम्मीदवार का हस्ताक्षर है?</p> <p>2. क्या किसी प्रकार की गलत सूचना जन्मजात अथवा अर्जित के सम्बंध में कोई प्रमाण है?</p> <p>3. क्या वह (स्त्री)/(पुरुष) दाग या धब्बे से मुक्त हैं तथा वह (स्त्री)/(पुरुष) अपने सभी अंगों का सम्यक प्रयोग करता/करती है?</p> <p>4. क्या दुर्बल स्वास्थ्य की ओर संकेत करने वाली कोई संवेदनशील अथवा पुरानी बीमारी का प्रमाण है?</p> <p>5. (क) क्या विगत 5 वर्षों में उम्मीदवार का सफलतापूर्वक टीकाकरण किया गया है?</p> <p>(ख) क्या वह कभी छोटा चेचक से ग्रसित हुआ है? अथवा उसके विरुद्ध उसकी प्राकृतिक प्रतिरक्षा हुई है?</p> <p>6. क्या उम्मीदवार संचारी बीमारी से मुक्त है?</p> <p>7. क्या उसके तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारी से ग्रसित होने के कोई प्रमाण है?</p> <p>8. क्या उसकी सुत्रण शक्ति अच्छी है? क्या वह कान से स्वस्थ है?</p> <p>9. क्या उसके आँख सही हैं? क्या उसके रंग के प्रत्यक्ष बोध में कोई कमी है? क्या उसका दृष्टि क्षेत्र दोषपूर्ण है? क्या उम्मीदवार रतौंधी से ग्रसित है? उसकी दृष्टि तीक्ष्णता का उल्लेख करें?</p> <p>10. क्या उम्मीदवार हकलाने अथवा बोलने संबंधी अन्य गंभीर दोषों से ग्रसित है?</p> <p>11. क्या उसे हड्डी, जोड़ों अथवा उससे जुड़े अंगों से संबंधित कोई बीमारी है?</p> <p>12. क्या उसे कोई गंभीर चर्मरोग है?</p> <p>13. क्या उसके हृदय एवं धमनियाँ स्वस्थ है? उसके रक्तचाप का उल्लेख करें?</p> <p>14. क्या उसके अंडकोष में वृद्धि स्फीत (शिरा) अथवा उसे बवासीर की बीमारी से ग्रसित है जिससे उसका चलना-फिरना कठिन है तथा वह अपने कर्तव्य का भलीभाँति निर्वहन करने में असमर्थ है?</p> <p>15. क्या उसके श्वसन तंत्र के अंगों में किसी बीमारी के प्रमाण हैं?</p> <p>16. क्या उसके पाचन तंत्र के अंगों में किसी बीमारी के प्रमाण हैं?</p> <p>17. क्या उसके दांत गंभीर रूप से क्षरित हो गये हैं अथवा दोषपूर्ण हैं?</p> <p>18. क्या उसे पायरिया होने के कोई प्रमाण हैं?</p> <p>19. क्या उम्मीदवार हर्निया से मुक्त है?</p> <p>20. क्या उसके जननांग की बीमारी से ग्रस्त होने के कोई प्रमाण हैं? क्या उसका मूत्र (1) एलबुमेन (2) सुगर से मुक्त है?</p> <p>21. क्या उम्मीदवार हेपेटाइटिस एवं एड्स से मुक्त हैं?</p> <p>22. क्या उम्मीदवार का मूत्र (1) एलबुमेन (2) सुगर से मुक्त हैं?</p> <p>23. क्या उसका मूत्र सामान्य है? (1) (2)</p> <p>24. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कुछ ऐसा है जो उसे अयोग्य बना सकता है? अथवा उस सेवा के जिसका वह उम्मीदवार है, के कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन करने के अयोग्य बना सकता है?</p> <p>25. क्या आप उम्मीदवार को बिहार वन सेवा में दक्षतापूर्वक एवं लगातार सेवा करने हेतु सभी दृष्टिकोण से योग्य समझते हैं?</p>		

दृष्टि की तीक्ष्णता खुली आँखों से चश्में के साथ, चश्मे की शक्ति

अशुद्धीकृत, शुद्धीकृत
दूर दृष्टि दाहिना आँख
बायाँ आँख

निकट दृष्टि दाहिना आँख
बायाँ आँख

वर्णाधता दाहिना आँख
बायाँ आँख

ऊँचाई— बिना जूता पहने हुये

छाती का घेरा— 1. (पूर्ण अन्तः श्वसन के बाद)
2. (पूर्ण निः श्वास के बाद)

वजन

स्थान

अध्यक्ष

तिथि

सदस्य

20 अगस्त 2013

सं० बि०व०से० स्था०-66/05-3001/प०व०—बिहार वन सेवा नियमावली-2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीपक कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

The 20th August 2013

BIHAR FOREST SERVICE RULES 2013

No. bi.va.se (estab.)-66/05-3000 /E.&F.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of Constitution of India and in supersession of the rules published by the Revenue Department Notification No. C/F-1012/55-1635-R dated- 30th of April, 1955, as amended from time to time the Governor of Bihar is pleased to make following rules regulating recruitment to and the conditions of service of persons appointed to the Bihar Forest Service:-

PART I

1. *Short title, Extent and commencement.*- (1) These rules shall be called the BIHAR FOREST SERVICE RULES, 2013
(2) It extends to the whole of the State of Bihar.
(3) It shall come into force with effect from the date of publication in the Bihar Gazette.
2. *Definitions .-* In these rules, unless there is anything repugnant to the subject or context-
(i) “Commission” means the Bihar Public Service Commission;
(ii) “Government” means the Government of Bihar;
(iii) “Principal Chief Conservator of Forest” means Officer posted on the post of Principal Chief Conservator of Forest and working as “Head of the force” in Environment and Forest Department;
(iv) “Chief Conservator of Forest” means Regional Chief Conservator of Forest, Chief Conservator of Forest and other officers equivalent to “Chief Conservator of Forest”

- (v) "Member of the Service" means a person appointed to the service under the provisions of these rules;
 - (vi) "Service" means the Bihar Forest Service.
 - (vii) "Department" means the Department of Environment and Forests, Government of Bihar
 - (viii) "Scheduled Tribes" means Tribes mentioned in Part-II of the Constitution of India (Scheduled Tribes Order-1950)
 - (ix) "Scheduled Castes" means Castes, mentioned in Part-II of the Constitution of India (Scheduled Castes, Order-1950)
 - (x) "Backward Castes" means castes notified as Backward Castes from time to time by the Government of Bihar.
 - (xi) "Extremely Backward Castes" means castes notified as Extremely Backward Castes from time to time by the Government of Bihar.
 - (xii) "Women of the Backward Class" means and includes women of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Extremely Backward Castes and Backward Castes.
3. *Appointment* . - (1) The appointments to the Posts of Basic Grade of Bihar Forest Service shall be made as follows:-
- (a) By direct recruitment in accordance with the procedure in Part II of these rules on the basis of a competitive examination to be held by the Commission;
 - (b) By promotion of Range Officers of Forests who having completed the requisite length of service as Range officer of Forest, has been found fit for the service in accordance with Part III of these Rules.
- (2) Fifty percent of the total number of posts in the service shall be filled up by appointment by promotion and fifty percent by direct recruitment.
4. *Reservation* .- The provisions of the Bihar Reservation of Vacancies in posts and Services (for Schedule Castes, Schedule Tribes and other Backward Classes) Act, 1991 and the Rules made thereunder and roster as prescribed by the State Government from time to time shall be applicable for making appointment to and for granting promotions in the service.

PART II

APPOINTMENT BY DIRECT RECRUITMENT (THROUGH OPEN COMPETITIVE EXAMINATION)

5. The State Government shall calculate vacancies generally every year as on the 1st of April as per rule 3 (2). After obtaining Roster Clearance the Government will send requisition according to reservation roster to the Commission by 30th of April. On receipt of such requisition, the Commission shall announce, each year, in such manner as it thinks fit, such requisitioned vacancies in the service to be filled up by direct recruitment on basis of the result of a Competitive Examination and shall invite application from candidates eligible under Rule 6. The Competitive Examination will be conducted by the Commission.
6. (A) For appearing in the Competitive Examination for this Service,
- (i) A candidate must not be less than 21 years and more than 30 years of age as on the 1st of August of the year of examination. Relaxation in age limit for candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, backward caste and extremely backward castes will be given as per the policy of Government Relaxation of 5 [five] years in upper age limit shall be given to the candidates trained as Range officer of Forests, as prescribed in the Cadre Rules for Range officer of Forests.

- (ii) A candidate must be of sound health and good physique. He or she should be free from any physical infirmity likely to create hindrance in performance of the duties efficiently as a member of the Bihar Forest Service;
- (iii) A candidate must hold a Bachelor's degree with at least one of the subjects, namely, Botany, Chemistry, Forestry, Geology, Mathematics, Physics, Statistics and Zoology, or a Bachelor's degree in Agriculture, or in Engineering, of any recognized University or equivalent.
- (B) The State Government servant who is eligible for the post shall submit his/her application through the prescribed authorized officer under the Bihar Government Servant (Application for the Posts) Rule, 1951.
7. With application form, a candidate must submit the following:-
- (i) Certificate of educational qualification as prescribed under Rule 6;
- (ii) Certificate of character and conduct issued from the last College / Institute he / she had studied at;
- (iii) Certificate of age, which will ordinarily be the true copy of Matriculation certificate or its equivalent certificate.
8. Notwithstanding any of the requirements as prescribed in Rule-6 and 7 of this part, the Commission may require a candidate at any point to furnish any such other additional certificate(s), which it may deem necessary for his/her candidature and/or suitability.
9. The written examination shall be held according to the syllabus specified at Schedule A to these rules which may be revised by the State Government from time to time.
10. Candidates will be called for a *viva-voce* test on the basis of marks obtained at the written examination. The number of candidates called for *viva-voce* will be in a particular ratio to the number of vacancies as decided by the Commission. The minimum qualifying marks for different reserved categories in the written test will be same as decided by the Government (General Administrative Department) from time to time.
11. The Principal Chief Conservator of Forest and/or an officer of the Indian Forest Service of the rank of Chief Conservator of Forests or above shall be a member of the Board constituted by the Commission for *Viva-Voce*.
12. The marks obtained at the *viva-voce* test shall be added to the marks obtained at the written examination and the merit list will be prepared based on the aggregate of marks obtained in the written examination and the *viva-voce*.
13. Candidates selected for interview shall have to undergo physical test conducted by the Commission followed by a medical examination by a Medical Board constituted by the Director, Health Services, Bihar. A candidate, who fails to qualify the physical test and/or fails to obtain a Medical Certificate of his fitness in Form C to these rules, shall not be selected.
14. The following minimum standards of physical fitness are prescribed-

	SC/ST candidates	Others
Height (Men)	152.5cm	163cm
Height (Women)	145 cm	150 cm
Chest unexpanded (Men)	79 cm (expansion of 5 cm)	79 cm (expansion of 5 cm)
Physical test:		
Men	Walking 25 kms in 4 hours	
Women	Walking 14 kms in 4 hours	

15. The list of candidates so arranged in accordance with merit, who have qualified the physical test and medical examination, shall be recommended by the Commission for appointment to this service. The panel recommended by the Commission will be valid for a period of one year.
16. No right to be appointed to the service shall accrue to a candidates for the sole reason of being recommended by the Commission under Rule-15 until the State Government is satisfied on enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.
17. Finally selected candidates shall be required to execute a bond/agreement in prescribed Form to the State Government and there after they shall be appointed as Assistant Conservator of Forests on probation for a period of two years and shall be required to undergo a two years professional training at the recognized institutes as determined by State Government. Names of the Assistant Conservator of Forests appointed on probation shall be sent to the concerned institutes alongwith following documents-
- (a) Certificate of age of each Assistant Conservator of Forests appointed on Probation.
- (b) Original Certificate of educational qualification as prescribed under rule- 6 A (iii) of each Assistant Conservator of Forests appointed on Probation.
- (c) A certificate of Physical fitness as issued in Form C under Rule-13.
18. In case the person so appointed on probation under Rule-17 fails to successfully complete the training thereunder the period of pobation of such person may be extended for a maximum period of one year and in the event such person fails to successfully complete the training thereunder within the extended period his services shall not be confirmed and he shall be discharged from the services.
19. On successful completion of the training within the period of two years or within such extended period as provided under Rule-17 the service of a person so appointed on the post of Assistant conservator of Forests thereunder shall be confirmed, if and only if,
- (a) He has been declared successful in the departmental examination as prescribed by the State Government and
- (b) The State Government is satisfied with the recommendations of the Principal Chief Conservator of Forest that he is fit to be confirmed
- Provided that in case such person is not declared successful as under Clause (a) or the State Governmentment is not satisfied under Clause (b) his service shall not be confirmed and he shall be discharged from service.
20. During the period of probation the person so appointed under Rule-17 would be entitled to pay and allowances as admissible to the post of Assistant Conservatory of Forests, as revised from time to time by the State Government and on confirmation of his service under Rule-18, the date of his initial appointment on probation shall be deemed to be the date of his substantive appointment in the service and he shall be entitled for all benefits under the service from the said date itself.

PART III

APPOINTMENT BY PROMOTION

21. (1) Under rule 3 (b) appointment by promotions of Range Officers of Forest to the basic grade post in the service shall be considered in accordance with merit-cum-seniority on the recommendation of the Departmental Promotion Committee constituted under Chairmanship of the Chairman / Member of the Bihar Public

Service Commission. Vacancies for appointment by promotion would be calculated each year as on 1st of April as per Rule-3 (2).

(2) After scrutinizing the documents forwarded by the Environment and Forest Department, the Commission shall, on the basis of merit-cum-seniority and their service records, work performance and annual confidential remarks, prepare the list of Range Officers of Forest suitable for appointment by promotion to the Basic grade post of the service.

22. The Commission shall send its recommendation to the State Government with regard to the suitability of the officers for appointment by promotion to the service.
23. The final selection of the Range Officers of Forests to be appointed by promotion to the Basic grade post of the Service shall be made by the State Government after considering the recommendations of the Commission under Rule 22.
24. Such officers appointed by promotion under this part will have to undergo a six week professional training at the recognized institutes as determined by State Government.

PART IV SENIORITY

- 25 (1) In case of members of the Service appointed by direct recruitment at the same time and confirmed under rule-18 their inter-se seniority shall be determined in order of merit in which their names are placed in the list of successful candidates as under Rule-15 at the final Examination of the Bihar Public Service Commission.
- (2) The inter-se seniority of Range officers of Forests substantively appointed to the Service by promotion at the same time, shall be in accordance with their seniority inter- se held as Range Officer.
- (3) In case where appointments are made both by direct recruitment and by promotion of Range officers against vacancies of same year, the promoted member shall be senior to the direct recruited members.

PART V PAY

26. Different Posts and hierarchy of posts of the member of the Bihar Forest Service shall be as under:-

S. No.	Name of Post
1	Assistant Conservator of Forests
2	Deputy Conservator of Forests
3	Senior Deputy Conservator of Forest
4	Conservator of Forests

The Number of different posts and their pay scale shall be fixed by State Government from time to time. The posts of Dy. Conservator of Forests, Senior Dy. Conservator of Forests and Conservator of Forests would be the promotional posts of Assistant Conservator of Forests, Dy. Conservator of Forests and Senior Dy. Conservator of Forests respectively.

27. Member of the Service shall be eligible for promotion to the post of Deputy Conservator of Forests and to the next higher posts as per the hierarchy of posts under Rule-26 as per the availability of vacant posts to which promotion is to be granted. The minimum length of service for promotion to the posts of Deputy Conservator of Forests, Senior Deputy Conservator of Forests and Conservator of Forest shall be 9 years, 14 years and 19 years respectively alongwith minimum 2 years of service on the post from which the promotion is to be granted.

28. The strength and the structure of the cadre of the Service may be amended from time to time as per the requirement by the State Government.
29. (1) For granting promotion in the highest pay scale of the Service, selection shall be made by a Departmental Promotion Committee constituted under the Chairmanship of the Chairman / Member of the Bihar Public Service Commission. The Principal Chief Conservator of Forests shall be a member of the Departmental Promotion Committee. The committee shall consider the service record and eligibility of the officers in the zone of Consideration on the basis of principle of merit-cum-seniority and send its recommendations to the department for notifying promotion.
 (2) For granting promotion to other pay scales of the service, selection shall be made by a Departmental Promotion Committee, as notified by the Department.
30. The state government, from time to time may issue guidelines for implementing different provisions under these rules.
31. All other service matters relating to the members of the service not expressly covered by these rules will be governed by the Bihar Service Code.
32. *Discipline, Control and appeal* .- The provision of the Bihar Government servant (Classification, Control and Appeal) Rules 2005 as amended from time to time shall apply to the Members of the Bihar Forest Service in matter of discipline, control and appeals.
33. *Repeal and Savings*.- (1) With effect from the date of commencement of this Rule the Bihar Forest Service Rules, 1953 published vide notification NO- C/F-1012/55-1635R Dated 30th of April 1955 of the Revenue Department, as amended from time-to-time, shall stand repealed.
 (2) Notwithstanding such repeal, any thing done or any action taken in exercise of any power conferred by or under the repealed Rules shall be deemed to have been done or taken in the exercise of powers conferred by or under this Rule, as if this Rule was in force on the day on which such thing was done or action was taken.
 (3) Nothing in the repeal shall affect or be deemed to affect any right accrued or any liability or obligation incurred under the repealed rules.

By order of the Governor of Bihar,
DIPAK KUMAR SINGH,
Secretary to Government.

FORM A
(Rule 17)
BOND

KNOW all men by these presents that we of
 (principal obliger) of and
 of (sureties) are jointly and severally
 bound to the Governor of Bihar in the sum of Rs to be paid
 to the said Governor, his successors in office or assigns or his or their certain attorneys or
 attorney which payment well and truly to be made, we bind ourselves, our heirs,
 executors, administrators and representatives and each of us binds himself, his heirs,
 executors, administrators and representative firmly by these presents seals with our seals
 and dated this day of two thousand
 and

Whereas the Governor of Bihar for himself and his successors in office and assigns
 has (subject to the conditions set forth in an agreement bearing even date herewith and
 made between of the first part, the said at SFS Academy in all
 matters relating to forest science, forest works and forest administration that it may be

deemed necessary by the principal of the said Academy to teach the said and has also agreed to pay him during his stay at the said Institute at the rate of Rs a month and whereas the cost per annum of such education without any such allowance being included is estimated at Rs a month which shall be taken and is hereby agreed to the actual cost for the purpose of these presents and whereas in consideration of such education and pay to be given to the said as aforesaid by the said Governor and his successors in office and assigns the said has agreed with the said Governor, of Bihar for a period of not less than five years during the whole of which time he will diligently and efficiently do all acts and discharge all duties which may be required of him to be done in his capacity as an officer of the said Department, and whereas the said Governor has also on his part agreed that

The said shall be paid for such service at the rate of not less than Rs a month provided that the said shall have completed the course to the satisfaction of the principal of the said Academy and shall be entitled according to his pay grade to all the rights and privileges in respect of pay, pension and promotion accorded to the officers of the said Department for the time being by the Rules and Regulation of the Department. And Whereas for the purpose of securing and indemnifying the said Governor, his successors in office and against all losses and damages which he or they might or may in any way suffer by person of the said being dismissed from or leaving without permission the said Academy before the completion of his studies there or the service of the said Governor, his successors in office or assigns before the expiration of five years from the date of completion of such studies and for the purpose also of securing the refund to the said Governor, his successors in office and assigns of the total cost including the monthly payments to be made to the said while at the said Academy as aforesaid education of the said at the said Academy and in consideration of the payment and education so as aforesaid to be made and given to the said the said Academy and as one of the conditions of the admission of the said and the said and as his sureties should execute the above-written bond subject to the condition hereinafter contained. Now the condition of the above written bond or obligation is such that if the said shall well and faithfully and diligently pursue and complete his studies at the said Academy and qualify for the said Forest Service and shall also after completing his studies at the said Institute, and if so required to do serve the said Governor, his successors in office and assigns in the Environment and Forest Department of the Government of Bihar for a period of not less than five years and shall during the whole of such period diligently and efficiently do all acts and discharge all duties which may be required to be done by him in his capacity as an officer of the said Department and shall satisfy his bond and the said agreement of even date herewith or if the said and or either or them their of either of their heirs, executors, administrators and representatives shall well and truly indemnify the said Governor, his successors in office and assigns against all loss and damage which he or they shall in any way suffer by reason of said being dismissed either while at the said Academy or while in the service of Government thereafter or of his leaving without permission the said Academy before the completion of his studies or service of the said Governor, his successors in office or assigns before the expiration of five years from the date of such completion and shall in the event of any such dismissal or leaving without permission as aforesaid also pay the said at the said Academy (including the said monthly payments so to be made as aforesaid) then the above written bond of obligation shall be void otherwise the same shall remain in full force and virtue. Provided

always and it is hereby expressly agreed and declared that these presents shall be treated and considered as entered into under the orders of the Governor of Bihar for the performance by the said of a public duty and an act in which the public are interested within the meaning of section 74 of Act IX of one thousand eight hundred and seventy two of the Legislative Council of India.

In witness where of the said parties to these presents have hereunto set their respective hands and seals the day and year first above-written.

Witnesses:-

- 1.
- 2.
- 3.

Signature.

- 1.
- 2.
- 3.

**FORM B
(Rule 17)
Agreement**

ARTICLES OF AGREEMENT made and entered into this day of two thousand and between of of the first part of of the second part and the Governor of Bihar. Whereby each of the parties there to so far as the covenants and condition hereinafter

contained are or ought to be observed not performed by him covenants with the other of them as follows:-

1. The said hereby of his own free will and consent and with the approbation and consent of the said testified by the execution by that the said shall throughout the prescribed period of the Academy Course of years will diligently and faithfully purpose his studies at the SFS Academy, use his best endeavour to qualify for the Forest Service of the Government of Bihar.

2. The said shall after completing his studies at the said SFS Academy and if so required to do serve the Governor, his successors in office and assigns in the Environment and Forest Department of the Government in Bihar for a period of not less than five years and shall during the whole of such period diligently and efficiently do all acts and discharge all duties which may be required to be done by his in his capacity as an officer of the said Department.

3. The Governor for himself, his successors in office and assigns hereby engages to educate the said at the SFS Academy, in all matters relating to the forest science, forest works and forest administration that it may be deemed science, necessary by the President of the said Institute to teach the said

4. The Governor shall pay the said during his study to the said SFS Academy at the rate of Rs a month which may be increased provided that the principal of the said SFS Academy is satisfied with his work and behaviour and thereafter proved that the said complies with the rules now in force for the direct appointment of candidates to the Service in Bihar and thereafter while the said shall faithfully and diligently serve as an officer of the said Forest Department at the rate of not less than Rs. a month provided that the said shall have completed the course to satisfaction of the president of the said Institute and the said shall be entitled according to his pay and, grade to all the rights and

privileges in respect of pay, pension and promotion accorded to officer to the said Department for the time being by the Rules and Regulation of the Department.

5. Lastly, it is hereby agreed and, declared that the Governor, his successor in office or assigns shall be at liberty in the event of the negligence, failure to attend to duty, illness or any subordination or misconduct on part of the said at any time during the said SFS Academy course of the said service as to which a certificate under the hand of the president of said Institute or the Principal Chief Conservator of Forests Bihar respectively, shall be conclusive evidence and binding on the said to rescind this agreement and to dismiss him from the said SFS Academy or the service of the said Department or both of them and in such case the said shall not be entitled to any of the privileges hereby granted to him and the said shall thereupon refund to the Governor, his successors in office or assigns the total cost (including the monthly payments to be made to the said while at the said the Institute as aforesaid) incurred by the Governor or his successors in office or assigns in respect of the education of the said at the said SFS Academy with cost (including of the said payments) shall for the purpose of these presents be taken to be the sum of

6. This agreement is intended to be ratified by said when he attains his majority

In witness whereof the said parties to these presents have hereunto set their respective hands and seals the day and year first above written.

Witness

1.

Signature

1.

FORM C Medical Reports

The following guidelines are given for the Medical Examination:-

A person will be deemed unfit for entry in the public Service who shall not satisfy the Government or the appointing authority, as the case may be, that he has no such diseases, or illness related to physical built-up or physical infirmity rendering him, or likely to render him unfit for this service.

The Commission desires that there should be understanding of the fact that the present and future both are linked with the suitability and the main purpose of medical examination is to ensure continuous service in perpetuity and to avoid payment or sanctioning pension consequent to the premature death in case of the candidate having permanent appointment. At the same time it is also to be noted that rejection of a candidate should not be advised merely on account of a minor defect in his body which does not create any hindrance in rendering perpetual and effective service.

Before filling up the form it should be ascertained from the candidate whether he has been previously held unfit by a lawfully constituted medical authority of Govt. of India or a Govt. service elsewhere.

(a) Candidate's Statement and Declaration.

The candidate must make the statement on the following prior to his medical examination and must sign declaration appended thereto. His attention is specially drawn towards the instruction noted below:-

1. Write your name in full (in block letters)
2. Write your age and place of birth
3. (A) Have you ever suffered from small-pox, intermittent or any other fever, enlargement of suppurating free glands, vomiting of blood, asthma, inflammation of lungs, heart disease, fainting attacks, arthritis, and appendicitis?

or

(b) Any other disease caused by accident requiring confinement or any medical or surgical treatment? Whether any permanent ill effect or disability has been caused on the body?

4. When were you last vaccinated?

5. Whether you or any of your relations have suffered from tuberculosis, piles, arthritis, asthma, epilepsy or derangement?

6. Have you suffered from any form of nervousness due to over work or any other cause?

7. Have you ever suffered from Hepatitis or Acquired Immunity Deficiency Syndrome (AIDS)?

8. Furnish the following particulars about your family:-

Father's and mother's age and if alive state of health	Father's and mother's age at death and cause of death	Number of brothers and sisters alive and their age.	Number of brothers and sisters dead, their age at the time of death and cause of death

I declare that all the above answers are true and correct to the best of my belief, and I have not concealed any information which may bear on my appointment.

Candidates Signature

Note.- The candidate will be responsible for the correctness of the above submission. By willfully suppressing any information he will incur the risk of losing appointment and if appointed, all retiral claims or Gratuity will be forfeited.

(b) Report of the civil surgeon on (Name of Candidate)

Questions	Answers.	Remarks
1. Has the candidate signed on the declaration form? 2. Is there any proof of wrong information congenital or acquired? 3. Is he / she free from scars and does he / she fully use all of his / her limbs? 4. Is there any proof of sensitive or chronic disease indicating weak health? 5. (a) Has the candidate been successfully vaccinated within the last five years? (b) Has he suffered from small-pox? or has he been immunised against that? 6. Is the candidate free from communicable disease? 7. Is there any proof of his suffering from neural disease? 8. Is his hearing power good? Are the ears healthy? 9. Are his eyes healthy? Is there any defect of color perception? Is his field of vision defective? Does the candidate suffer from night blindness? State the state of vision. 10. Is the candidate suffering from stammer or any other serious defect of speech? 11. Does he have any disease of the bones, joints or parts connected therewith?		

12. Does he have any severe skin disease?		
13. Are the heart and arteries healthy? State the blood pressure		
14. Is he suffering from enlargement of testicles, varicose veins or hemorrhoids due to which his movement is difficult and he is incapable of performing his chores properly?		
15. Is there any symptom of disease in his respiratory organs?		
16. Is there any symptom of disease in his digestive organs?		
17. Are his teeth seriously decayed or otherwise defective?		
18. Is there any symptom of his suffering from Pyorrhoea?		
19. Is the candidate free from hernia?		
20. Is there any symptom of his suffering from disease of genital organs?		
21. Is the candidate free from AIDS and Hepatitis?		
22. Is his urine free from-(1) albumen, (2) sugar.		
23. Is his urine normal?		
(1)		
(2)		
24. Is there anything regarding health of the candidate likely to render him unfit? or render him unfit for discharging efficiently the functions of the service of which he is a candidate?		
25. Do you consider the candidate suitable in all respects for the efficient and continuous discharge of his duties in the Bihar Forest Service?		

Acuity of vision, Naked eye and with glasses, Strength of glasses

Incorrected, corrected.

Sph Cyl Axis

Distant Vision R.E.

L.E

Near Vision R.E.

L.E

Height - (Without foot wear)

Chest- 1. (after full inspiration)

2. (after full expiration)

Weight

**Signature & Stamp of the
Chairman**

Place.....

Date.....

(Member)

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 693-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>